



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या— **FC-175**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।

पटना-14, दिनांक—**18/02**/2019

विषय : जमुई जिलान्तर्गत देवघर—चकाई पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.9 हे० वन भूमि का "BSNL Ltd. हजारीबाग के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 39 दिनांक 11.01.2019 द्वारा प्राप्त FRA, 2006 प्रमाण पत्र के आलोक में, प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 201 (ई०) दिनांक 14.02.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ जमुई जिलान्तर्गत देवघर—चकाई पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.9 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 50 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रु० 5,17,112/— मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायेगी।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना निर्माण कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किये जाने के कारण MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में Penal NPV के रूप में, NPV के समतुल्य राशि रु० 5,63,400/— मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iv) क्षतिपूरक वनीकरण एवं Penal NPV मद की कुल राशि रु० 10,80,512/— (रुपये दस लाख अस्सी हजार पाँच सौ बारह) मात्र को मंत्रालय के वेब—साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कराया जायेगा।
- (v) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जायेगी।

- (vi) वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (viii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (ix) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (x) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xi) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।
- (xii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xiii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xiv) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xv) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में BSNL Ltd. हजारीबाग) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—F.C. 175 दिनांक 18/02/2019

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/वन महानिरीक्षक—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड-हॉक कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

ज्ञापांक—F.C.....175..... दिनांक 18/02/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—F.C.....175..... दिनांक 18/02/2019

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई/प्रमंडलीय अभियन्ता, OFC (Project) BSNL हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।